

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सं०सं०-मु०अभि०(पटना)यो० विविध-८-२०/२०२१ २३७७(१) /पटना, दिनांक १६/३/२३

अधिसूचना

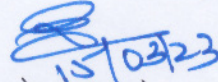
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-७४३५(९) दिनांक-१४.०८.२०१९ के द्वारा SBD Contract Clause-25 को निम्नरूप से प्रतिस्थापित किया गया है:-

"Contract Clause-25 Settlement of Disputes and Arbitration-

The Settlement of Disputes and Arbitration shall be done in accordance with the Provisions made in Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008."

उक्त प्रावधान को भवन निर्माण विभाग में लागू करने हेतु विधि विभाग का परामर्श एवं विभागीय उच्चस्तरीय तकनीकी पदाधिकारियों के समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से अनुशंसा प्रदान की गई है।

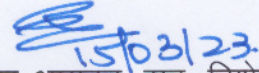
२. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(राकेश कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक- मु०अभि०(पटना)यो० विविध-८-२०/२०२१ २३७७(१) पटना, दिनांक- १६/३/२३

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रावै०)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं आई.टी. मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


१६/३/२३

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।